राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान
dirminority@gmail.com दूरभाष नं.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांकः–एफ 1 (1)/असमावि/आवा. विधा/2021/ 8017 दिनांकः– 26/10/2021

–: संचालन स्वीकृति आदेश :–

राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के बालक–बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बजट वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में **"राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों"** की स्थापना करने एवं खोले जाने की घोषणा की गई है। इस बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का संचालन सत्र 2021–22 से किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.स.	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का नाम	श्रेणी	बजट घोषणा
1	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, भणियाना सांकड़ा, जैसलमेर	बालक	2021–22
2	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, रामगढ़, अलवर	बालक	2021–22
3	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, उदयपुर	बालिका	2021–22
4	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सीकर	बालिका	2021–22
5	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, चौहटन, बाड़मेर	बालिका	2021–22
6	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कन्चननेर, पहाड़ी, भरतपुर	बालिका	2021–22
7	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नणदेरा, कामां, भरतपुर	बालिका	2020–21
8	राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मसूदा, अजमेर	बालक	2020–21

इन विद्यालयों का संचालन संलग्न दिशा–निर्देशों एवं बजट प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

संलग्न :– दिशा–निर्देश

26.X.2021

(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

क्रमांकः–एफ 1 (1)/असमावि/आवा. विधा/2021/ 8018 – 29 दिनांकः– 26/10/2021

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 162100834 दिनांक 29.09.2021 के अनुसरण में।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोषालय, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर।
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी (लेखा एवं हक), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जैसलमेर, सीकर, उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित कर लेख है कि उक्त विद्यालयों का संचालन सत्र 2021–22 से सुनिश्चित करें। इस हेतु निर्देशानुसार भवन की उपलब्धता, आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने, प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने आदि की आवश्यक कार्यवाही तत्काल करें।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाशाखा कार्यालय हाजा।
11. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

26/10/2021

(डॉ. एम. ए. खान)
अतिरिक्त निदेशक